



प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0-डब्ल्यू0 एम0-11- 6

दिनांक: 06/05/2022

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक कार्य प्रमंडल, झारखंड ।

विषय: माह मार्च 2022 का पुनरीक्षित प्रपत्र (RF-51) ससमय प्रेषित करने के संबंध में ।

विदित हो कि माह मार्च 2022 के लेखे में, प्रायः यह देखा जा रहा है कि आपके स्तर से प्रेषण एवं काटी गई चेक की राशि संबंधित माह के लेखे में शामिल नहीं की गई है, जिसके कारण प्रमंडल स्तर से लेखे रद्द करने के अनेकों अनुरोध इस कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं । इसे उप महालेखाकार (कार्य) ने गंभीरता से लिया है ।

चूंकि माह मार्च 2022 का पुनरीक्षित प्रपत्र (RF-51) इस कार्यालय में जमा करने कि अंतिम तिथि 05.05.2022 निर्धारित थी । लेकिन आपके स्तर से अदिनांक संबंधित प्रपत्र इस कार्यालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

इस आलोक में उप महालेखाकार (कार्य) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माह मार्च 2022 का पुनरीक्षित प्रपत्र (RF-51) इस कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय । साथ ही, चेक प्राधिकार पत्र 15.05.2022 के बाद निर्गत करने हेतु माह मार्च 2022 का पुनरीक्षित प्रपत्र (RF-51) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

dm/5/22

वरीय लेखा अधिकारी / डब्ल्यू0 एम0



प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), JHARKHAND

कार्यालय आदेश

का0आ0 सं0-डब्ल्यू0 एम0-11-6

दिनांक: 06/05/2022

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लोक कार्य प्रमंडल, झारखंड ।

विषय: माह मार्च 2022 का पुनरीक्षित प्रपत्र (RF-51) ससमय प्रेषित करने के संबंध में ।

विदित हो कि माह मार्च 2022 के लेखे में, प्रायः यह देखा जा रहा है कि आपके स्तर से प्रेषण एवं काटी गई चेक की राशि संबंधित माह के लेखे में शामिल नहीं की गई है, जिसके कारण प्रमंडल स्तर से लेखे रद्द करने के अनेकों अनुरोध इस कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं । इसे उप महालेखाकार (कार्य) ने गंभीरता से लिया है ।

चूंकि माह मार्च 2022 का पुनरीक्षित प्रपत्र (RF-51) इस कार्यालय में जमा करने कि अंतिम तिथि 05.05.2022 निर्धारित थी । लेकिन आपके स्तर से अदिनांक संबंधित प्रपत्र इस कार्यालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध नहीं कराई गई है ।

इस आलोक में उप महालेखाकार (कार्य) द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माह मार्च 2022 का पुनरीक्षित प्रपत्र (RF-51) इस कार्यालय में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय । साथ ही, चेक प्राधिकार पत्र 15.05.2022 के बाद निर्गत करने हेतु माह मार्च 2022 का पुनरीक्षित प्रपत्र (RF-51) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

ह01-

वरीय लेखा अधिकारी / डब्ल्यू0 एम0

प्रतिलिपि:

वरीय प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी / प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी / प्रमंडलीय लेखापाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

दिनांक
06/05/22

वरीय लेखा अधिकारी / डब्ल्यू0 एम0